राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–iv

जयपुर, दिनांक :– 14 JUN 2021

परिपत्र

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.02.2013 एवं दिनांक 04.05.2015 के द्वारा ग्रुप हाउसिंग (प्लाटेड डवलपमेन्ट) की योजनाओं में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के मार्गाधिकार, नाले, नहर तथा वॉटर बॉडी की भूमि हेतु 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल निशुल्क समर्पित किये जाने की स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता से निशुल्क प्राप्त की जाने वाली 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र में समानानुपात में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

उक्त छूट के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा प्रकरणों के अनुसार ही अन्य समान प्रकृति के उपयोगों के एकल पट्टा प्रकरणों (फार्म हाउस एवं संस्थानिक प्रकरणों में विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.06.2017 के द्वारा विद्यमान छूट यथावत रखते हुए) में भी 10 प्रतिशत से अधिक भूमि मास्टर प्लान सडक/सेक्टर प्लान सडक/नाले/नहर/वॉटर बॉडी हेतु निशुल्क समर्पित किये जाने की स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी के तहत विकासकर्ता से निशुल्क प्राप्त की जाने वाली 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र में समानानुपात में छूट दिये जाने का प्रावधान किया जाता है।

किन्तु पूर्व में निष्पादित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम